

BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE, GWALIOR (MP)

Case No......of 2016 Revision

Applicants

- Nathua s/o Bhaiyalal Saunr R/o Village Raniganj Tehsil Jatara District Teekamgarh MP.
- Rajabeti w/o Parikchad Kushwaha Aged about 50 years R/o Raniganj Tehsil Jatara District Teekamgarh MP

Versus

- State of MP through Collector District Teekamgarh MP.
- 2. Tehsildar, Tehsil Jatara District Teekamgarh MP.

187 Per South and Branch Respondents

2. answer

Revision Under Section 50 of the Land Revenue
Code against the impugned order dated 3.1.2013
passed by Collector District Teekamgarh
whereby the permission which was granted
under Section 165 of the Land Revenue Code
vide order dated 23.11.2010 to alienate the
agriculture land belongs to applicant No.1 was
recalled and the sale deed between the applicant
has been set aside.

May it please this Hon`ble Court,

The humble applicants submit this revision as under: -

1. That, brief facts giving rise to present revision are that the applicant No.1 belongs to Adiwasi Caste and was the

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.3082/एक /2016 जिला- टीकमगढ़

नाथू आदि विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान दिनांक	तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषव आदि के हस्ताक्षर
-08-19		मन्त्रमा भूग निमा गुमा भूगेरस स्त्राम गर	
		प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह	
		निगरानी कलेक्टर जिला- टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक	
		08/पुनर्विलोकन/2012-2013 में पारित आदेश दिनांक	
		03.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व	
		संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन	
		के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा	
		50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु	
		प्रकरण आयुक्त, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता	
		है।	
		2- पक्षकार दिनांक 05-11-19 को आयुक्त, सागर के	
		न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।	
		7	
		() () () () () () () () () ()	-
		(जां क्रिक जना)	
		सदस्य	
			~
			a "g
70			